

कार्यालय ग्राम पंचायतपंचायत समिति
क्रमांक :- दिनांक:-

-:: चैक लिस्ट ::-

-:: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ::-

1. प्रार्थी की पासपोर्ट साईज प्रमाणित फोटो।
2. फार्म में 14 बिन्दु की जांच रिपोर्ट।
3. प्रार्थी का स्वयं का मोबाईल नम्बर अथवा रिश्तेदार का मोबाईल नम्बर।
4. जॉब कार्ड के आन लाईन नम्बर/स्पष्ट छायाप्रति।(स्वयं प्रमाणित)
5. प्रस्तावित भूखण्ड का प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत लाभार्थी का पट्टा
/खातेदारी भूमि की नकल।
6. बैंक पास बुक की स्पष्ट छाया प्रति।(स्वयं प्रमाणित)
7. आधार कार्ड की स्पष्ट छाया प्रति।(स्वयं प्रमाणित)
8. जन आधार/भामाशाह कार्ड की स्पष्ट छाया प्रति।(स्वयं प्रमाणित)
9. विंकलाग हो तो प्रमाण पत्र की स्पष्ट छायाप्रति।(स्वयं प्रमाणित)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत.....

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास स्वीकृति हेतु पात्रता की शर्तें।

मैं/मेरे परिवार के सदस्यों ने पूर्व में किसी भी योजना में आवास हेतु अनुदान सहायता प्राप्त नहीं की है, व वर्तमान में पक्का मकान नहीं है एवं निम्न सुविधाएं मेरे पास उपलब्ध नहीं है :-

- 1) मोटर साईकिल दुपहिया/तिपहिया/चौपहिया वाहन/मच्छली नाव - नहीं है।
- 2) मेकेनाइज्ड तिपहिया/चौपहिया वाहन कृषि उपकरण - नहीं है।
- 3) किसान क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट सीमा के साथ 50 हजार या उससे अधिक का - नहीं है।
- 4) परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी - नहीं है।
- 5) परिवार के गैर कृषि उधमों का सरकार के साथ पंजीकृत - नहीं है।
- 6) परिवार के किसी भी सदस्य की आय अधिकतम रूपये 10 हजार प्रति माह - नहीं है।
- 7) इन्कमटैक्स - नहीं देता हूँ।
- 8) व्यावसायिक कर - नहीं देता हूँ।
- 9) स्वयं का रेफ्रिजरेटर - नहीं है।
- 10) स्वयं का लेण्डलाईन फोन - नहीं है।
- 11) स्वयं 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के साथ एक सिंचित उपकरण - नहीं है।
- 12) 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के लिए दो या अधिक फसल मौसम - नहीं है।
- 13) मालिक 7.5 एकड़ भूमि या अधिक, एक सिचाई उपकरण के साथ - नहीं है।
- 14) किसी भी सरकारी योजना में आवास निर्माण हेतु मेरे परिवार के पक्ष में आदिनांक तक कोई स्वीकृति जारी नहीं हुई है अथवा कोई पक्का मकान आवंटन - नहीं है।
15. सरकार द्वारा नवीन आवास हेतु निर्धारित अनुदान सहायता राशि से मैं न्यूनतम 25 वर्गमीटर प्लिंथ क्षेत्र का नवीन पक्का आवास निर्माण अधिकतम 12 माह की अवधि में पूर्ण कराने के लिए बचनबद्ध हूँ। आवासीय अनुदान सहायता से अधिक होने वाले व्यय की व्यवस्था मैं अपने स्तर पर स्वयं करूंगा।